भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2271

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला खानों का संरक्षण और सुरक्षा

2271. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला खनन स्थलों पर ऐसी दुर्घटनाओं के होने को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : वर्ष 2019 से कोयला खानों में रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	**घातक दुर्घटनाएँ**						**गंभीर दुर्घटनाएँ**					
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
छत्तीसगढ़	7	12	5	4	2	6	10	5	10	19	12	8
गुजरात	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	0
झारखंड	11	8	7	7	11	2	7	11	15	16	16	5

मध्य प्रदेश	3	4	7	6	4	10	8	5	15	18	7	4
महाराष्ट्र	3	4	4	0	3	2	12	4	5	9	2	4
ओडिशा	7	5	2	0	6	2	2	2	3	4	1	2
राजस्थान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
तेलंगाना	8	9	7	5	6	6	143	79	126	102	67	72
तमिलनाडु	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	2
उत्तर प्रदेश	2	0	1	0	0	1	0	2	1	1	6	0
पश्चिम बंगाल	8	6	10	2	5	4	11	8	10	9	4	2
कुल	**51**	**48**	**43**	**24**	**38**	**36**	**193**	**117**	**186**	**181**	**117**	**100**

2024* (नवंबर, 2024 तक)

(ख): सभी कोयला खानें खान अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा अभिशासित होती हैं। खान अधिनियम, 1952 को खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा उपयुक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, मानक और दिशानिर्देशों के निरूपण, निरीक्षण, दुर्घटनाओं की जांच, जागरूकता गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन योजनाओं के निरूपण के माध्यम से अभिशासित किया जाता है।

खान अधिनियम, 1952, खान नियम-1955, कोयला खान विनियम-2017 और उसके तहत बनाए गए उपनियमों और स्थायी आदेशों के तहत किए गए सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन के अलावा, खानों में ऐसी दुर्घटनाओं के होने को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

1. स्थल विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं (एसएमपी) का निरूपण और कार्यान्वयन, प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजनाएं (पीएचएमपी), स्थल-विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन आधारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निरूपण और अनुपालन।
2. खान सुरक्षा पर प्रशिक्षण: क़ानून के अनुसार प्रारंभिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण, एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण, फ्रंट लाइन खान अधिकारियों का कौशल उन्नयन, सुरक्षा समितियों के सदस्यों और ठेका कामगारों सहित

सभी कर्मचारियों को नियमित आधार पर जागरूक करना तथा एसआईएमटीएआरएस अधिकृत कार्यकारियों द्वारा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण।

3. कोयला मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विषयक सुरक्षा लेखा परीक्षा टीम के माध्यम से खानों की सुरक्षा लेखा परीक्षा करना।

4. स्ट्रेटा प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक कार्यतंत्र को अपनाना तथा खान पर्यावरण की निगरानी।

5. उपर्युक्त के अलावा, ओपनकास्ट और भूमिगत खानों में किए जा रहे विशिष्ट सुरक्षा उपाय निम्नानुसार हैं:

   - विस्फोट मुक्त सुरक्षित खनन के लिए पर्यावरण-अनुकूल सतही खनिकों का उपयोग।
   - खान-विशिष्ट ट्रैफिक नियमों का निरूपण और कार्यान्वयन।
   - एचईएमएम ऑपरेटरों को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण।
   - निकटता चेतावनी उपकरण, रियर व्यू मिरर और कैमरा, ऑडियो-विज़ुअल अलार्म (एवीए), ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम आदि से लेस डंपर।
   - ओसी खान के अंदर एचईएमएम की आवाजाही पर नज़र रखने के लिए कुछ बड़े ओसीपी में जीपीएस आधारित ऑपरेटर इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस) और जियो-फेंसिंग।
   - रोशनी के स्तर को बढ़ाने के लिए हाई मास्ट टावरों का उपयोग करके प्रकाश की व्यवस्था।
   - अर्ध मशीनीकरण प्रौद्योगिकी की शुरूआत करके बास्केट लोडिंग को समाप्त करना।
   - न्यूमेटिक/हाइड्रोलिक रूफ बोल्टिंग सिस्टम द्वारा बोल्टिंग के साथ प्रभावी रूफ कंट्रोल सिस्टम के लिए रेसिन कैप्सूल से सीमेंट कैप्सूल का प्रतिस्थापन करना।
   - जहां भी भूविज्ञान अनुमति देता है, सतत खनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया जाता है।
   - आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजनाएं (ईआर और ईपी) कोयला खान विनियमन 2017 के अनुसार तैयार की जाती हैं।

6. खान सुरक्षा निरीक्षण: पर्याप्त संख्या में सक्षम और सांविधिक पर्यवेक्षकों तथा खान अधिकारियों द्वारा सभी खनन प्रचालन कार्यों का चौबीसों घंटे पर्यवेक्षण, कामगार

निरीक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बैक शिफ्ट खान निरीक्षण, आंतरिक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों द्वारा नियमित खान निरीक्षण।

(ग): पिछले पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय क्षेत्र स्कीम के तहत कोयला खानों के संरक्षण और सुरक्षा के तहत आवंटित निधियों का विवरण निम्नानुसार हैं -

वर्ष	**आवंटित निधियां (करोड़ रूपए में)**
2020-21	06.00
2021-22	04.50
2022-23	04.00
2023-24	20.00
2024-25	10.79

****